न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 287/2016 **दायरा दिनांक : 16.08.2016**

उनवान

प्रेमचन्द आत्मज श्री जगन्नाथ जी, जाति कुमावत, ग्राम मून्डक्या, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

जगदीश पुत्र श्री रामचन्द्र जी, जाति ब्राहमण, ग्राम मून्डक्या, तहसील छबडा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 18.06.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 128/15 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान किये

बिनास, दावे की प्रक्रिया को अपनाये बिना, वाद में तनकीयात कायम कर दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य पेश किये बिना ही मात्र वादी के कथन को आधार मानकर प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध दावा वादी रेस्पोडेंट बाबत स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अन्य सहखातेदारान को पक्षकार बनाये बिना दावा वादी रेस्पोडेंट मेंटेनेबल नहीं है । इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय को दावा वादी रेस्पोडेंट खारिज करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि प्रतिवादी अपीलांट प्रेमचन्द के खाते की खसरा नम्बर 177/1 में ट्यूवबैल लगा हुआ है इस ट्यूबवैल से ही पाईप डालकर प्रतिवादी अपीलांट अपने खेत खसरा नम्बर 287/2 को सिंचित करता आ रहा है, इसे रोकने का वादी रेस्पोडेंट को कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट ने कभी मुकदमें को लोक अदालत में पेश करने अथवा अपने विरूद्ध वादी का वाद डिक्री करने की सहमति नहीं दी है । अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तौर पर ही प्रतिवादी अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकारों की रक्षा करते हुए दिया गया निर्णय विधि सम्मत है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा